>

Title: Need to provide reservation for Scheduled Castes in the recruitment of nationalized banks including Bank of Baroda in Gujarat.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत को आजाद हुए 63 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है। भारत के संविधान में दलितों को आरक्षण का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में पर्याप्त मात्रा में दलितों के लिए उपलब्ध आरक्षण नहीं दिया जाता है। मैं गुजरात से आता हूं, वर्तमान पत्रों में क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन आए थे। 24 मार्च, 2012 को बैंक आफ बड़ोदा का कुल 2000 क्लेरिकल भर्ती का विज्ञापन आया था। इसमें गुजरात के लिए 350 स्थान अंकित किए गए थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं किया गया था। इसी तरह 17 अप्रैल, 2012 को देना बैंक का क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती का विज्ञापन आया था। इसमें गुजरात के लिए 381 स्थान अंकित किए गए थे लेकिन अनुसूचित जाति के लिए केवल चार स्थान आरक्षित किए गए थे। मैं समझता हूं कि यह संविधान के प्रति अनादर है। जब पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग इस तरह का काम करती है तो हमें गंभीर रूप से इसका ज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह की गलत भर्तियों पर शीघ्र ही रोक लगा दी जानी चाहिए और नए सिरे से आरक्षण का आकलन करके भर्ती का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें दंडित करना चाहिए।